सं.ए.35014/08/2016-सीएचएस.V

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीएचएस प्रभाग)

कमरा सं. 331-सी

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 31 अगस्त, 2016

सेवा में,

i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय (रेल मंत्रालय सहित)

ii. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन।

iii. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय/अर्ध सरकारी संगठन/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान।

विषयः प्रतिनियुक्ति आधार पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ) उपसंवर्ग में चिकित्सा अधिकारी (एमओ), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) के ग्रेड में पदों को भरने के संबंध में।

महोदय/मदोहया,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्र सरकार (रेल और रक्षा मंत्रालय सहित) अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के तहत सदृश पदों को धारण करने वाले अधिकारियों से **प्रतिनियुक्ति आधार पर** तथा केन्द्र/राज्य सरकारों के तहत सांविधिक निकाय, स्वायत्त निकाय, अर्ध सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में सदृश पदों को धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों से **अल्पावधि संविदा द्वारा**केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ) उपसंवर्ग में अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।

2. नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले, **अनुलग्नक-I** में यथाउल्लिखित अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले तथा मूल संगठन में परिवीक्षा की अपनी अवधि पूरी करने वाले अधिकारी उचित माध्यम से पद और उपसंवर्ग के नाम का उल्लेख करते हुए सीएचएस ने प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में वर्तमान में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य करने वाले सभी अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। पदों और पदों के वेतनमान, अपेक्षित योग्यता और अनुभव का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। **योग्यता आदि का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात** http://mohfw.nic.in/chs **पर भी देखा जा सकता है।**

3. प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति रिक्तियों की उपलब्धता होने पर ही की जाएगी। चयनित अधिकारी का पूरे भारत में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है और उनके चयन के समय मौजूद रिक्ति वाले स्थान पर उनकी तैनाती की जा सकती है।

4. सीएचएस में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पद का वेतनमान अथवा मूल संवर्ग में अपना मूल वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता और उस पर व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई है, आहरित कर सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समय-समय पर यथासंशोधित सीएचएस नियमावली, 2014 द्वारा शासित होगी। तथापि, नियमित भर्ती होने के मामले में अथवा किसी कारणवश नीति में परिवर्तन होने पर मंत्रालय अपनी तरफ से प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त कर सकता है। प्रतिनियुक्ति की शर्तें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों द्वारा शासित होंगी।

5. **अनुलग्नक-I** में उल्लिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए,निर्धारित प्रपत्र**(अनुलग्नक-II)** में आवेदनों को रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर अवर सचिव (सीएचएस V), कमरा सं. 331, 'सी' विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकता है। इस मंत्रालय को सभी आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए। आवेदन की अग्रिम प्रति पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आवेदन को अग्रेषित करने के दौरान इस मंत्रालय को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रेषित करें:

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा मूल विभाग अथवा संगठन से,प्रतिनियुक्ति आधार पर सीएचएस में संबंधित अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित "अनापत्ति प्रमाण पत्र"।

(ii) आवेदक की पिछले 5 वर्षों की एसीआर/एपीएआर की अभिप्रमाणित प्रतियां।

(iii) सीएचएस के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए संस्तुत अधिकारी की सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रमाण पत्र।

(iv) आवेदक के संबंध में उपयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा यथा हस्ताक्षरित सतर्कता निकासी।

(v) पिछले 10 वर्षों/पूरे सेवाकाल, जो भी कम हो, के दौरान अधिकारी पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति, यदि कोई है से संबंधित प्रमाण पत्र।

6. अपूर्ण आवेदनों अथवा ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। यदि अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि मूल संगठन प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदक की नियुक्ती के पक्ष में नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

7. ऐसे पात्र अधिकारी, जिनके पति/पत्नी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और वे ऐसे स्थान पर स्थानांतरित है अथवा कार्य कर रहे हैं जहां सीएचएस के पद मौजूद हैं, वे भी प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्ति की उपलब्धता तथा अन्य प्रशासनिक बाधाओं के न होने पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त ऐसे अधिकारियों की तैनाती उनके पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(डी डी माहेश्वरी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 011.23061875

प्रतिः

1. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

(डी डी माहेश्वरी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 011.23061875

अनुलग्नक-I

पदों का नाम और वेतनमान

(i) चिकित्सा अधिकारी (एमओ)- वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+5400रु. ग्रेड वेतन

(ii) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ)- वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+6600रु. ग्रेड वेतन

(iii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ)- वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+7600रु. ग्रेड वेतन

(iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी)- वेतन बैंड-3 (37,400-67,100 रुपए)+8700रु. ग्रेड वेतन

योग्यता और अनुभवः

(क) **प्रतिनियुक्ति आधार परः**केन्द्र सरकार (रेल और रक्षा मंत्रालय सहित) अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के तहत नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले तथा संतोषजनक ढंग से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरा करने वाले अधिकारी।

(ख) **अल्पावधि संविदा द्वाराः**केन्द्र/राज्य सरकारों के तहत सांविधिक निकाय, स्वायत्त निकाय, अर्ध सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले तथा संतोषजनक ढंग से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरा करने वाले अधिकारी।

(ग) अभ्यर्थी के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की पहली अथवा दूसरी अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची (स्वेच्छा आधार पर योग्यता को छोड़कर) के भाग-II में शामिल मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री की योग्यता भी होनी चाहिए। चिकित्सा अधिकारी {वेतन बैंड 3 (15,600-39,100 रुपए)+5400रु. ग्रेड वेतन}के तौर पर नियुक्ति के मामले मेंतृतीय अनुसूची के भाग-II में शामिल शैक्षिक योग्यता को धारण करने वाले अभ्यर्थियों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा।

(घ) मेडिकल स्नातक के तौर पर पंजीकरण होने के पश्चात 5 वर्ष का अनुभव; अथवा स्नातकोत्तर डिग्री धारक के मामले में 2 वर्ष के अनुभव के साथ संगत क्षेत्र में अनुसूची-VI (परिशिष्ट 'क') में उल्लिखित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी {वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+6600रु. ग्रेड वेतन}के तौर पर नियुक्ति के मामले में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हेतु 4 वर्ष का अनुभव।

(ङ) प्रैक्टिस और प्रशासनिक अनुभव के साथ इस पेशे में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव; अथवा स्नातकोत्तर डिग्री धारक के मामले में इस पेशे में 6 वर्ष के अनुभव के साथ संगत क्षेत्र में अनुसूची-VI में उल्लिखित स्नातकोत्तर अथवा डिप्लोमा तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) {वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+7600रु. ग्रेड वेतन} के तौर पर नियुक्ति के मामले में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों के मामले में 8 वर्ष का अनुभव।

(च) प्रैक्टिस और प्रशासनिक अनुभव के साथ इस पेशे में कम से कम 14 वर्ष का अनुभव; अथवा स्नातकोत्तर डिग्री धारक के मामले में इस पेशे में 10 वर्ष के अनुभव के साथ संगत क्षेत्र में अनुसूची-VI में उल्लिखित स्नातकोत्तर अथवा डिप्लोमा तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) {वेतन बैंड-3 (37,400-67,100 रुपए)+8700रु. ग्रेड वेतन} के तौर पर नियुक्ति के मामले में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों के मामले में 12 वर्ष का अनुभव।

भरे जाने वाले प्रस्तावित पदों का ब्यौरा

क्र.सं.	पद का नाम	विशेषज्ञता और स्टेशन	पदों की संख्या
i.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ	सीजीएचएस, दिल्ली	10
ii.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ	सीजीएचएस, चैन्नई	05
iii.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ	सीजीएचएस, हैदराबाद	05
कुल			20

अनुलग्नक-II

प्रोफार्मा

1 आवेदित पद का नाम :

2 नाम और वर्तमान पदनाम :

3 आरंभिक नियुक्ति की तिथि, वेतनमान के साथ :

4 वर्तमान वेतनमान :

5 पूरा पता (साफ अक्षरों में) :

6 जन्म तिथि (ईस्वी सन् में) :

7 केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के तहत भर्ती की तिथि :

8 शैक्षिक अर्हताएं :

9 क्या पद के लिए, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं संतोषजनक हैं (क्या किसी अर्हता के नियमों में निर्धारित किसी योग्यता को समकक्ष माना गया है, इसके लिए प्राधिकारी उल्लेख करें)

		अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	:	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं/अनुभव
अनिवार्य	(1)			
	(2)			
	(3)			
वांछित	(1)			
	(2)			

10 कृपया बताएं कि ऊपर आपके द्वारा दी गई प्रविष्टियों के आलोक में क्या आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं:

11 नियुक्तियों का क्रमानुसार ब्यौरा। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत तथा नियोक्ता द्वारा सत्यापित एक अलग कागज पर संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान/संगठन	**धारित पद**	**किस तिथि से**	**किस तिथि तक**	**वेतनमान और मूल वेतन**	**कार्य का स्वरूप**

12 वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप, अर्थात तदर्थ या अस्थायी अथवा स्थायी :

13 क्या परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से समाप्त हो गई है :

14 वर्तमान नियुक्ति तदर्थ/संविदा आधार पर होने की दशा में, कृपया बताएं: :

(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि :

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि :

(ग) मुख्य कार्यालय/संगठन का नाम, जहां से आप संबंधित है :

15 वर्तमान नियुक्ति के बारे में अतिरिक्त विवरण, कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य करते हैं:- :

(क) केन्द्रीय सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) स्वात्तय निकाय

(घ) सरकारी उपक्रम

(ङ) विश्वविद्यालय

16 कृपया बताएं कि पहले किसी राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे या केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे :

17 कृपया बताएं कि आप कभी अनधिकृत अवकाश, ईओएल या अनर्जित अवकाश (लीव नॉट ड्यू) पर रहे हैं: :

18 क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो संशोधन की तिथि बताएं तथा पूर्व-संशोधित वेतनमान भी दर्शाएं :

19 अभी प्राप्त हो रहा कुल वेतन प्रतिमाह, वेतन बैंड, बैंड वेतन और ग्रेड वेतन (पृथक रूप से बताएं) :

20 अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो तो, जिसे आप पद की उपयुक्तता के लिए देना चाहते हों। यदि स्थान अपर्याप्त हो तो नियोक्ता द्वारा सत्यापित एक अलग कागज संलग्न करें। :

21 क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित हैं। :

22 अभ्युक्तियां :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पता-----------------

दिनांक ---------------------

प्रतिहस्ताक्षरित----------------------

(नियोक्ता)

सं.ए.35014/08/2016-सीएचएस.V
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीएचएस प्रभाग)

कमरा सं. 331-सी
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 31 अगस्त, 2016

सेवा में,

iv. भारत सरकार के सभी मंत्रालय (रेल मंत्रालय सहित)

v. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन।

vi. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय/अर्ध सरकारी संगठन/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान।

विषयः प्रतिनियुक्ति आधार पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के **गैर शिक्षण उपसंवर्ग** में विशेषज्ञ ग्रेड.**III**, विशेषज्ञ ग्रेड.**II** और विशेषज्ञ ग्रेड.**I** के पदों को भरने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्र सरकार (रेल और रक्षा मंत्रालय सहित) अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के तहत सदृश पदों को धारण करने वाले अधिकारियों से **प्रतिनियुक्ति आधार पर** तथा केन्द्र/राज्य सरकारों के तहत सांविधिक निकाय, स्वायत्त निकाय, अर्ध सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में सदृश पदों को धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों से **अल्पावधि संविदा द्वारा** केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर शिक्षण उपसंवर्ग में अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।

2. नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले, **अनुलग्नक-I** में यथाउल्लिखित अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले तथा मूल संगठन में परिवीक्षा की अपनी अवधि पूरी करने वाले अधिकारी उचित माध्यम से पद और उपसंवर्ग के नाम का उल्लेख करते हुए सीएचएस ने प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में वर्तमान में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य करने वाले सभी अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। पदों और पदों के वेतनमान, अपेक्षित योग्यता और अनुभव का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। **योग्यता आदि का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात** http://mohfw.nic.in/chs **पर भी देखा जा सकता है।**

3. प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति रिक्तियों की उपलब्धता होने पर ही की जाएगी। चयनित अधिकारी का पूरे भारत में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है और उनके चयन के समय मौजूद रिक्ति वाले स्थान पर उनकी तैनाती की जा सकती है।

4. सीएचएस में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पद का वेतनमान अथवा मूल संवर्ग में अपना मूल वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता और उस पर व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई है, आहरित कर सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समय-समय पर यथासंशोधित सीएचएस नियमावली, 2014 द्वारा शासित होगी। तथापि, नियमित भर्ती होने के मामले में अथवा किसी कारणवश नीति में परिवर्तन होने पर मंत्रालय अपनी तरफ से प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त कर सकता है। प्रतिनियुक्ति की शर्तें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों द्वारा शासित होंगी।

5. **अनुलग्नक-I** में उल्लिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए, निर्धारित प्रपत्र **(अनुलग्नक-II)** में आवेदनों को रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर **अवर सचिव (सीएचएस V), कमरा सं. 331, 'सी' विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011** को भेजा जा सकता है। इस मंत्रालय को सभी आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए। आवेदन की **अग्रिम प्रति पर विचार नहीं किया जाएगा।**

6. आवेदन को अग्रेषित करने के दौरान इस मंत्रालय को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रेषित करें:

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा मूल विभाग अथवा संगठन से, प्रतिनियुक्ति आधार पर सीएचएस में संबंधित अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित "**अनापत्ति प्रमाण पत्र**"।

(ii) आवेदक की पिछले 5 वर्षों की एसीआर/एपीएआर की **अभिप्रमाणित प्रतियां**।

(iii) सीएचएस के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए संस्तुत अधिकारी की **सत्यनिष्ठा** के संबंध में प्रमाण पत्र।

(iv) आवेदक के संबंध में उपयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा यथा हस्ताक्षरित **सतर्कता निकासी**।

(v) पिछले 10 वर्षों/पूरे सेवाकाल, जो भी कम हो, के दौरान अधिकारी पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति, यदि कोई है से संबंधित प्रमाण पत्र।

अपूर्ण आवेदनों अथवा ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। यदि अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि मूल संगठन प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदक की नियुक्ती के पक्ष में नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

7. ऐसे पात्र अधिकारी, जिनके पति/पत्नी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और वे ऐसे स्थान पर स्थानांतरित है अथवा कार्य कर रहे हैं जहां सीएचएस के पद मौजूद हैं, वे भी प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्ति की उपलब्धता तथा अन्य प्रशासनिक बाधाओं के न होने पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त ऐसे अधिकारियों की तैनाती उनके पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(डी डी माहेश्वरी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 011.23061875

प्रतिः

2. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

(डी डी माहेश्वरी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 011.23061875

अनुलग्नक-I

गैर-शिक्षण उप-संवर्ग

पदों का नाम और वेतनमान

I. विशेषज्ञ ग्रेड.III - वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+6600रु. ग्रेड वेतन

II. विशेषज्ञ ग्रेड.II- वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+7600रु. ग्रेड वेतन

III. विशेषज्ञ ग्रेड.I -वेतन बैंड-4(37,400-67,100 रुपए)+8700रु. ग्रेड वेतन

योग्यता और अनुभवः

(छ) **प्रतिनियुक्ति आधार परः** केन्द्र सरकार (रेल और रक्षा मंत्रालय सहित) अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के तहत नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले तथा संतोषजनक ढंग से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरा करने वाले अधिकारी।

(ज) **अल्पावधि संविदा द्वाराः** केन्द्र/राज्य सरकारों के तहत सांविधिक निकाय, स्वायत्त निकाय, अर्ध सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले तथा संतोषजनक ढंग से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरा करने वाले अधिकारी।

(झ) अभ्यर्थी के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की पहली अथवा दूसरी अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची (लाइसेंस संबंधी योग्यता को छोड़कर) के भाग-II में शामिल मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री की योग्यता भी होनी चाहिए। तृतीय अनुसूची के भाग-II में शामिल शैक्षिक योग्यता को धारण करने वाले अभ्यर्थियों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा।

(ञ) समय-समय यथा संशोधित केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 2014 की अनुसूची-VI के भाग क अथवा भाग ख में उल्लिखित संगत विशेषज्ञता अथवा अति विशेषज्ञता में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा **(परिशिष्ट 'क')**

(ट) विशेषज्ञ ग्रेड.III - {वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+6600रु. ग्रेड वेतन} के तौर पर नियुक्ति के मामले में संगत विशेषज्ञता अथवा अति विशेषज्ञता में प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री धारक के मामले में तीन वर्ष का अनुभव अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत पांच वर्ष का अनुभव।

(ठ) विशेषज्ञ ग्रेड.II - {वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+7600रु. ग्रेड वेतन} के तौर पर नियुक्ति के मामले में संगत विशेषज्ञता अथवा अति विशेषज्ञता में प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री धारक के मामले में पांच वर्ष का अनुभव अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत सात वर्ष का अनुभव।

(ड) विशेषज्ञ ग्रेड.I - {वेतन बैंड-4 (37,400-67,000 रुपए)+8700रु. ग्रेड वेतन} के तौर पर नियुक्ति के मामले में बारह वर्ष का अनुभव जिसमें से संगत विशेषज्ञता में आठ वर्ष का प्रैक्टिकल और प्रशासनिक अनुभव।

नोट – डाक्टरेट ऑफ मेडिसन (डीएम) अथवा मजिस्टर चिरुर्गी (एमसीएच) के धारक के मामले में पांच वर्ष की अवधि की अर्हता, और कथित डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन (डीएम) अथवा मजिस्टर चिरुर्गी (एमसीएच) के आखिरी भाग में वरिष्ठ स्नातकोत्तर रेजीडेंसी की अवधि को अपेक्षित अनुभव में गिना जाएगा।

भरे जाने वाले प्रस्तावित पदों का ब्यौरा

क्र.सं.	पद का नाम	विशेषज्ञता और स्थान	पदों की संख्या
i.	विशेषज्ञ ग्रेड.III/II/I	एनेथेसिया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह	05
ii.	विशेषज्ञ ग्रेड.III/II/I	आब्स्ट. और गॉयनी, अडंमान निकोबार समूह	05

iii.	विशेषज्ञ ग्रेड.III/II/I	मेडिसन, अंडमान निकोबार समूह	05
iv.	विशेषज्ञ ग्रेड.III/II/I	सर्जरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह	05
v.	विशेषज्ञ ग्रेड.III/II/I	पेडिएट्रिक्स, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह	05
vi.	विशेषज्ञ ग्रेड.III/II/I	माइक्रोबॉयलोजी सीआरआई, कसौली सीएलटीआरआई, चेंगालपत्तू	05
कुल			**30**

****

सं.ए.35014/08/2016-सीएचएस.V
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीएचएस प्रभाग)

कमरा सं. 331-सी
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 31 अगस्त, 2016

सेवा में,

vii. भारत सरकार के सभी मंत्रालय (रेल मंत्रालय सहित)

viii. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन।

ix. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय/अर्ध सरकारी संगठन/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान।

विषयः प्रतिनियुक्ति आधार पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा(सीएचएस) के **शिक्षण उपसंवर्ग** में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों को भरने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्र सरकार (रेल और रक्षा मंत्रालय सहित) अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के तहत सदृश पदों को धारण करने वाले अधिकारियों से **प्रतिनियुक्ति आधार पर** तथा केन्द्र/राज्य सरकारों के तहत सांविधिक निकाय, स्वायत्त निकाय, अर्ध सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में सदृश पदों को धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों से **अल्पावधि संविदा द्वारा** केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण उपसंवर्ग में अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।

2. नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले, **अनुलग्नक-I** में यथाउल्लिखित अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले तथा मूल संगठन में परिवीक्षा की अपनी अवधि पूरी करने वाले अधिकारी उचित माध्यम से पद और उपसंवर्ग के नाम का उल्लेख करते हुए सीएचएस ने प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में वर्तमान में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य करने वाले सभी अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। पदों और पदों के वेतनमान, अपेक्षित योग्यता और अनुभव का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। **योग्यता आदि का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात http://mohfw.nic.in/chs पर भी देखा जा सकता है।**

3. प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति रिक्तियों की उपलब्धता होने पर ही की जाएगी। चयनित अधिकारी का पूरे भारत में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है और उनके चयन के समय मौजूद रिक्ति वाले स्थान पर उनकी तैनाती की जा सकती है।

4. सीएचएस में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पद का वेतनमान अथवा मूल संवर्ग में अपना मूल वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता और उस पर व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई है, आहरित कर सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समय-समय पर यथासंशोधित सीएचएस नियमावली, 2014 द्वारा शासित होगी। तथापि, नियमित भर्ती होने के मामले में अथवा किसी कारणवश नीति में परिवर्तन होने पर मंत्रालय अपनी तरफ से प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त कर सकता है। प्रतिनियुक्ति की शर्तें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों द्वारा शासित होंगी।

5. **अनुलग्नक-I** में उल्लिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए, निर्धारित प्रपत्र **(अनुलग्नक-II)** में आवेदनों को रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर **अवर सचिव (सीएचएस V), कमरा सं. 331, 'सी' विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011** को भेजा जा सकता है। इस मंत्रालय को सभी आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए। **आवेदन की अग्रिम प्रति पर विचार नहीं किया जाएगा।**

6. आवेदन को अग्रेषित करने के दौरान इस मंत्रालय को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रेषित करें:

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा मूल विभाग अथवा संगठन से, प्रतिनियुक्ति आधार पर सीएचएस में संबंधित अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित **"अनापत्ति प्रमाण पत्र"।**

(ii) आवेदक की पिछले 5 वर्षों की एसीआर/एपीएआर की **अभिप्रमाणित प्रतियां**।

(iii) सीएचएस के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए संस्तुत अधिकारी की **सत्यनिष्ठा** के संबंध में प्रमाण पत्र।

(iv) आवेदक के संबंध में उपयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा यथा हस्ताक्षरित **सतर्कता निकासी**।

(v) पिछले 10 वर्षों/पूरे सेवाकाल, जो भी कम हो, के दौरान अधिकारी पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति, यदि कोई है से संबंधित प्रमाण पत्र।

अपूर्ण आवेदनों अथवा ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। यदि अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि मूल संगठन प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदक की नियुक्ती के पक्ष में नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

7. ऐसे पात्र अधिकारी, जिनके पति/पत्नी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और वे ऐसे स्थान पर स्थानांतरित है अथवा कार्य कर रहे हैं जहां सीएचएस के पद मौजूद हैं, वे भी प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्ति की उपलब्धता तथा अन्य प्रशासनिक बाधाओं के न होने पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त ऐसे अधिकारियों की तैनाती उनके पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(डी डी माहेश्वरी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 011.23061875

प्रतिः

3. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

(डी डी माहेश्वरी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 011.23061875

अनुलग्नक-I

शिक्षण उप-सवंर्ग

पदों का नाम और वेतनमान

IV. सहायक प्रोफेसर - वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+6600रु. ग्रेड वेतन

V. एसोसिएट प्रोफेसर- वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+7600रु. ग्रेड वेतन

VI. प्रोफेसर -वेतन बैंड-4(37,400-67,100 रुपए)+8700रु. ग्रेड वेतन

योग्यता और अनुभवः

(ढ) **प्रतिनियुक्ति आधार परः** केन्द्र सरकार (रेल और रक्षा मंत्रालय सहित) अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के तहत नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले तथा संतोषजनक ढंग से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरा करने वाले अधिकारी।

(ण) **अल्पावधि संविदा द्वाराः** केन्द्र/राज्य सरकारों के तहत सांविधिक निकाय, स्वायत्त निकाय, अर्ध सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले तथा संतोषजनक ढंग से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरा करने वाले अधिकारी।

(त) अभ्यर्थी के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की पहली अथवा दूसरी अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची (लाइसेंस संबंधी योग्यता को छोड़कर) के भाग-II में शामिल मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री की योग्यता भी होनी चाहिए। तृतीय अनुसूची के भाग-II में शामिल शैक्षिक योग्यता को धारण करने वाले अभ्यर्थियों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा।

(थ) समय-समय यथा संशोधित केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 2014 की अनुसूची-VI के भाग क अथवा भाग ख में उल्लिखित संगत विशेषज्ञता अथवा अति विशेषज्ञता में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री।

(द) सहायक प्रोफेसर - {वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+6600रु. ग्रेड वेतन} के तौर पर नियुक्ति के मामले में संगत विशेषज्ञता/अति विशेषज्ञता में अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री के उपरांत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में शिक्षक/रजिस्ट्रार/डिमांस्ट्रेटर/वरिष्ठ रेजीडेंस के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।

(ध) एसोसिएट प्रोफेसर - {वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए)+7600रु. ग्रेड वेतन} के तौर पर नियुक्ति के मामले में संगत विशेषज्ञता/अति विशेषज्ञता में अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री के उपरांत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में शिक्षक/रजिस्ट्रार/डिमांस्ट्रेटर/वरिष्ठ रेजीडेंस के तौर पर कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से दो वर्ष का विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर का अनुभव हो।

(न) प्रोफेसर - {वेतन बैंड-4 (37,400-67,000 रुपए)+8700रु. ग्रेड वेतन} के तौर पर नियुक्ति के मामले में मेडिकल कालेज/शिक्षण संस्थान में अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री की अर्हता के उपरांत पेशे में बारह वर्ष का अनुभव जिसमें से संगत विशेषज्ञता में कम से कम चार वर्ष का एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में व्यापक प्रैक्टिकल और प्रशासनिक अनुभव हो।

नोट : (i) डाक्टरेट ऑफ मेडिसन (डीएम) अथवा मजिस्टर चिरुर्गी (एमसीएच) के धारक के मामले में पांच वर्ष की अवधि की अर्हता, और कथित डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन (डीएम) अथवा मजिस्टर चिरुर्गी (एमसीएच) के आखिरी भाग में वरिष्ठ स्नातकोत्तर रेजीडेंसी की अवधि को अपेक्षित शिक्षण अनुभव में गिना जाएगा।

(ii) शिक्षण पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी जैसे पद का शिक्षण अनुभव इसकी पात्रता के लिए विचारणीय नहीं होगा ।

भरे जाने वाले प्रस्तावित पदों का ब्यौरा

क्र.सं.	पद का नाम	विशेषज्ञता और स्थान	पदों की संख्या
i.	सहायक प्रो./एसोसिएट प्रो./प्रोफेसर	एंडोक्रीनॉलोजी, दिल्ली	02
ii.	सहायक प्रो./एसोसिएट प्रो./प्रोफेसर	गैस्ट्रोएंट्रोलोजी, दिल्ली	02
iii.	सहायक प्रो./एसोसिएट प्रो./प्रोफेसर	न्यूरोलोजी, दिल्ली	02
iv.	सहायक प्रो./एसोसिएट प्रो./प्रोफेसर	न्यूरोसर्जरी, दिल्ली	02
v.	सहायक प्रो./एसोसिएट प्रो./प्रोफेसर	नेफ्रोलोजी, दिल्ली	02
	कुल		**10**

****

			विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए । (ii) अनिवार्य चक्रानुक्रमी इंटर्नशिप का पूरा किया जाना – ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चक्रानुक्रमी इंटर्नशिप पूरी नहीं की हो लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे परंतु चयन किए जाने पर उन्हें नियुक्ति के पूर्व अनिवार्य इंटर्नशिप समाधानप्रद रूप से पूरी करनी होगी ।

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 3 : अनुभव संबधी अर्हता आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

टिप्पण 4 : चिकिसा अधिकारी के पद पर लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख जिस वर्ष परीक्षा आयोजित की जाती है, उस वर्ष की 1, जनवरी होगी ।

अनुसूची 6
[देखें नियम 6(9) और 6(10)]

		भाग क	भाग ख
क्रम सं.	विषय	अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता	अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा अर्हता
	भाग (क) गैर नैदानिक		
1.	शरीर रचना विज्ञान	एमएस (शरीर रचना विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) ; या विज्ञान (शरीर रचना विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री ; या एमएससी (शरीर रचना विज्ञान) के साथ विज्ञान (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) में डाक्टर डिग्री	
2.	शरीर क्रिया विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर क्रिया विज्ञान) ; या एमबीबीएस के साथ एमएससी (शरीर क्रिया विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ	

		चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान में डाक्टरेट (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान)	
3.	जैव रसायन विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (जैव रसायन विज्ञान) ; या विज्ञान (जैव रसायन विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिसिन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री ; या एमएससी (चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान) के साथ डाक्टरेट (चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान) डिग्री ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जैव रसायन) के साथ डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा जैव रसायन)	
4.	जैव भौतिकी	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (जैव भौतिकी) ; या एमएससी (जैव भौतिकी या चिकित्सा जैव रसायन) के साथ डाक्टरेट (जैव भौतिकी) डिग्री ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (जैव रसायन) के साथ जैव भौतिकी में एक वर्ष का प्रशिक्षण	नैदानिक विकृति विज्ञान में डिप्लोमा विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
5.	भेषज गुण विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (भेषज गुण विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान) के साथ चिकित्सा बैचलर या शल्य क्रिया बैचलर ; या विज्ञान निष्णात (भेषज गुण विज्ञान) के साथ डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (भेषज गुण विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान) के साथ डाक्टर ऑफ साइंस (भेषज गुण विज्ञान)	नैदानिक विकृति विज्ञान में डिप्लोमा विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
6.	विकृति विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ साइंस (विकृति विज्ञान)	
7.	जीवाणु विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसिन (जीवाणु विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ चिकित्सा में बैचलर और शल्य क्रिया में बैचलर डिग्री ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ	

		डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान)	
	ख. नैदानिक		
1.	सामान्य चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा)	
2.	न्याय आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (न्याय आयुर्विज्ञान)	
3.	विकिरण आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण आयुर्विज्ञान) डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा)	विकिरण आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा
4.	बाल चिकित्सा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल चिकित्सा)	बाल रोग विज्ञान, बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा
5.	नैदानिक रुधिर विज्ञान	चिकित्सा या विकृति विज्ञान में रुधिर विज्ञान में तीन वर्ष के अनुभव के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसन	
6.	क्षय रोग और श्वशन आयुर्विज्ञान, फुफ्फुसीय आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और फुफ्फुसीय रोग) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) के साथ क्षय रोग में डिप्लोमा; या क्षय रोग और वक्ष रोगों में डिप्लोमा; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और वक्ष रोग)	क्षय रोग में डिप्लोमा क्षय रोग और वक्ष रोग में डिप्लोमा
7.	मनोरोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोचिकित्सक आयुर्विज्ञान) ; या चिकित्सा में डाक्टर ऑफ मेडिसन के साथ मनोचिकित्सक आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा ; या मनोरोग विज्ञान (इडीआईएन) में दो वर्षीय पाठ्यक्रम, मनोरोग विज्ञान (मैकगिल) विश्वविद्यालय मान्ट्रीयल, कनाडा से दो वर्षीय पाठ्यक्रम	मनोचिकित्सीय आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा
8.	रति रोग	डाक्टर ऑफ मेडिसन (रति रोग) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान और रति रोग) ; या चिकित्सा में डाक्टर ऑफ मेडिसन के साथ रति रोग में डिप्लोमा ; या	रति रोग में डिप्लोमा
9.	त्वचा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान और रति रोग) ; या चिकित्सा में डाक्टर ऑफ मेडिसन के साथ त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा ; या	त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा
10.	त्वचा विज्ञान, रति रोग और कुष्ठ रोग	डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान और रति रोग) ; या	रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा

		डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान, रति रोग और कुष्ठ रोग) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान जिसके अंतर्गत रति रोग भी है) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान जिसके अंतर्गत रति रोग या कुष्ठ रोग भी है) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) के साथ रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा या त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा	त्वचा विज्ञान और रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा
11.	सामान्य शल्य चिकित्सा	शल्य चिकित्सा निष्णात (शल्य चिकित्सा) शल्य चिकित्सा निष्णात (सामान्य शल्य चिकित्सा)	
12.	आर्थोपेडिक्स	शल्य चिकित्सा निष्णात (आर्थोपेडिक्स)	आर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा
13.	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान में डिप्लोमा
14.	भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास	डाक्टर ऑफ मेडिसन (भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) के साथ भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास में डिप्लोमा ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (सामान्य शल्य चिकित्सा) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (आर्थोपेडिक्स) के साथ भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास (भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास) में विशेषज्ञता में विशेष प्रशिक्षण या भारत में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में अनुमोदित विषय में दो वर्ष का समतुल्य प्रशिक्षण	
15.	नेत्र विज्ञान	शल्य चिकित्सा निष्णात (नेत्र विज्ञान) ; या एमडी (नेत्र विज्ञान)	नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा नेत्र विज्ञान, आयुर्विज्ञान और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा
16.	आटो-राइनो-लराइगोलोजी (कान, नाक और गला)	शल्य चिकित्सा निष्णात (आटो-राइनो-लराइन्जोलोजी)	नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा आटो-राइनो-लराइगोलोजी में डिप्लोमा
17.	प्रसूति और बाल स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) के साथ बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा या प्रसूति और बाल कल्याण में डिप्लोमा ; या	प्रसूति और बाल कल्याण में डिप्लोमा

		शल्य चिकित्सा निष्णात (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (मिड और स्त्री रोग विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (मिड और और स्त्री रोग विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (मिड और स्त्री रोग विज्ञान) ; या रायल कॉलेज ऑफ ओबस्टेट्रिशयन एंड गायनाकोलोजिस्ट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम का सदस्य ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा) ; या नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसस (इंटीग्रेटेड मेटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ) स्पेशिलिटी बोर्ड ऑफ ओबस्टेट्रिशयन एंड गायनाकोलोजी, (यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरीका) का सदस्य	
18.	विकिरण निदान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (विकिरण विज्ञान)	आयुर्विज्ञान और विकिरण निदान में डिप्लोमा या एक वर्ष का समतुल्य डिप्लोमा
19.	विकिरण चिकित्सा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात ((विकिरण विज्ञान)	आयुर्विज्ञान और विकिरण चिकित्सा में डिप्लोमा या एक वर्ष का समतुल्य डिप्लोमा
	18 और 19 के लिए	टिप्पण : वे व्यक्ति, जिन्होंने विकिरण विज्ञान में डाक्टर ऑफ मेडिसन या विकिरण विज्ञान में डिप्लोमा 1985 से पूर्व किया है विकिरण निदान विज्ञानी और विकिरण चिकित्सा के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे ।	
20	संवेदनाहरण विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (संवेदनाहरण विज्ञान)	संवेदनाहरण विज्ञान में डिप्लोमा
21	न्युक्लियर आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (न्युक्लियर आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा) के साथ किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र में न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) के साथ विकिरण चिकित्सा में डिप्लोमा या न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान) के साथ किसी	

		मान्यता प्राप्त केन्द्र में न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव-भौतिकी) या जैव-भौतिकी में उसके समतुल्य अर्हता के साथ विकिरण आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा; या राष्ट्रीय बोर्ड से न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र में न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव	
22.	पोषण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान में डाक्टर ऑफ मेडिसन ; या सामाजिक आयुर्विज्ञान में डाक्टर ऑफ मेडिसन ; या बाल रोग विज्ञान में डाक्टर ऑफ मेडिसन के साथ प्रायोगिक पोषण में एक वर्ष के विशेष प्रशिक्षण के साथ विज्ञान निषणात	
23.	मानव उपापचय	डाक्टर ऑफ मेडिसन (इंडोक्रीनोलोजी) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ इंडोक्रीनोलोजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
24.	प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जीवाणु विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (रुधिर विज्ञान) के साथ दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव या प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण विभाग में विशेष प्रशिक्षण	
25.	आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसुति और स्त्री रोग विज्ञान) के साथ आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
26.	कुटुंब आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (कुटुंब आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण आयुर्विज्ञान) ; या	
27.	विमानन आयुर्विज्ञान या विमानपत्तन आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विमानन आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विमानपत्तन आयुर्विज्ञान) ; या	

28.	वृद्धावस्था विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (कुटुंब आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (वृद्धावस्था विज्ञान) ; या	
29.	स्वास्थ्य प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या	
30.	अस्पताल प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन)	
31.	क्रीड़ा आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्रीड़ा आयुर्विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (अस्थि भंग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) के साथ क्रीड़ा आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव ; या	
32.	ट्रोपीकल आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (ट्रोपीकल आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) धन दो वर्ष का नैदानिक आयुर्विज्ञान में अनुभव	
33.	संधिवातीयशास्त्र	डाक्टर ऑफ मेडिसन (संधिवातीयशास्त्र) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) के साथ संधिवातीयशास्त्र या प्रतिरक्षा विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव	
34.	स्वास्थ्य शिक्षा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक आयुर्विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) ; या	
35.	सामुद्रिक आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) के साथ सामुद्रिक आयुविज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ; या	
36.	वृत्तिक स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (बाल रोग विज्ञान)	
37.	विकिरणीय भौतिकी	विज्ञान निष्णात (भौतिकी) ; या विज्ञान निष्णात (रसायन शास्त्र) ; या विज्ञान निष्णात (जैव भौतिकी)के साथ डाक्टरेट(भौतिकी	

		या रसायन शास्त्र या जैव भौतिकी	
38.	विषाणु विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (विषाणु आयुर्विज्ञान) के साथ विषाणु विज्ञान में डाक्टरेट	
	(ग) अतिविशेषज्ञताएं		
1.	जठार तंत्र आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठार तंत्र आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठार तंत्र) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ जठार तंत्र में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ; या	
2.	तंत्रिका विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (तंत्रिका विज्ञान)	
3.	इंडोक्रिनोलाजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (इंडोक्रिनोलाजी) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ इंडोक्रिनोलाजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ; या	
4.	हृदय रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (हृदय रोग विज्ञान) ; या	
5.	वृक्क रचना विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (वृक्क रचना विज्ञान) ; या	
6.	प्लास्टिक और पुनर्संरचना शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (प्लास्टिक शल्य) ; या मेजिस्टर चिरुरगुई (प्लास्टिक और पुनर्संरचना शल्य चिकित्सा) ; या	
7.	हृदय वाहिकीय और वक्षीय शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (हृदय संबंधी और वक्षीय शल्य चिकित्सा) ; या मेजिस्टर चिरुरगुई (वक्षीय शल्य चिकित्सा) ; या मेजिस्टर चिरुरगुई (हृदय शल्य चिकित्सा) ; या मेजिस्टर चिरुरगुई (वाहिकीय शल्य चिकित्सा) ; या	
8.	तंत्रिका शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (तंत्रिका शल्य चिकित्सा) ; या	
9.	बाल रोग शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (बाल रोग शल्य चिकित्सा)	
10.	मूत्र विज्ञान	मेजिस्टर चिरुरगुई (मूत्र विज्ञान)	
11.	जठार तंत्र शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (जठार तंत्र शल्य चिकित्सा)	
12.	नवजात विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नवजात विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
13.	नैदानिक रुधिर विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नैदानिक रुधिर विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
14.	नैदानिक भेषज गुण विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (भेषज गुण विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (भेषज गुण विज्ञान) के साथ नैदानिक	

		भेषज गुण विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
15.	प्रतिरक्षा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षा विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
16.	आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (आनुवांशिकी) आयुर्विज्ञान ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (शरीर रचना विज्ञान) के साथ आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
17.	अर्बुदविज्ञान आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (अर्बुदविज्ञान आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ बाल रोग विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
18.	शल्य चिकित्सीय जठार तंत्र	मेजिस्टर चिरुरगुई (शल्य चिकित्सीय जठार तंत्र) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (शल्य चिकित्सा) के साथ शल्य चिकित्सा में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण; या	
19.	चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान	मेजिस्टर चिरुरगुई (चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात या शल्य चिकित्सा निष्णात (कान, नाक, गला); या शल्य चिकित्सा निष्णात अस्थभंग विज्ञान; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान) के साथ चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
20.	बाल रोग हृदय	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग हृदय विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (हृदय विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ हृदय रोग विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
	घ. लोक स्वास्थ्य		
1.	सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान या	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान) ; या	

	सामुदायिक आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक आयुर्विज्ञान) ; या	
2.	लोक स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या	लोक स्वास्थ्य में डिप्लोमा, औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा, लोक स्वास्थ्य निष्णात, ट्रोपिकल आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा, ट्रोपिकल आयुर्विज्ञान और स्वच्छता में डिप्लोमा,

टिप्पण: 1- किसी भारतीय विश्विद्यालय द्वारा दी गई कोई स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई मान्यता या वापस ली गई मान्यता के परिणामस्वरूप शामिल किया गया है या हटाया गया है को अनुसूची 6 से तदनुसार शामिल किया गया या हटाया गया समझा जाएगा।

टिप्पण: 2- किसी भारतीय विश्विद्यालय द्वारा दी गई किसी स्नातकोत्तर अर्हता को अनुसूची 6 के प्रयोजनों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में अवश्य शामिल किया गया हो।

टिप्पण: 3- नियंत्रक प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से अनुसूची 6 के भाग क, भाग ख, भाग ग या भाग घ में किसी आयुर्विज्ञान अर्हता को शामिल कर सकेगा।

अनुसूची- 7

[देखें नियम 6(4)]

क्रम संख्या	पदोन्नति		की गई सेवा	बैंचमार्क
	से	तक		
1. अध्यापन उपकाडर				
1.	सहायक प्रोफेसर ग्रेड वेतन 6600/-रु के साथ वेतन बैंड-3	सहायक प्रोफेसर	2 वर्ष की सेवा	अच्छा
2.	एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड वेतन 7600/-रु के साथ वेतन बैंड-3	प्रोफेसर	4 वर्ष की सेवा	बहुत अच्छा
3.	प्रोफेसर ग्रेड वेतन 8700/-रु के साथ वेतन बैंड-4	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या निदेशक प्रोफेसर ग्रेड वेतन 10000/-रु के साथ वेतन बैंड-4	7 वर्ष की सेवा	यथास्थिति, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट या गणना में ली जाने वाली वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के पूर्ववर्ती पांच वर्ष के लिए सभी पांचों बहुत अच्छा के साथ बहुत अच्छा
2. अध्यापनेतर उपकाडर				
1.	विशेषज्ञ ग्रेड-III ग्रेड वेतन 6600/-रु के साथ वेतन बैंड-3	विशेषज्ञ ग्रेड-II	2 वर्ष की सेवा	अच्छा
2.	विशेषज्ञ ग्रेड-II ग्रेड वेतन 7600/-रु के साथ वेतन बैंड-3	विशेषज्ञ ग्रेड-I	4 वर्ष की सेवा	बहुत अच्छा
3.	विशेषज्ञ ग्रेड-I ग्रेड वेतन 8700/-रु के साथ	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या सलाहकार ग्रेड	7 वर्ष की सेवा	यथास्थिति, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट या गणना में ली जाने वाली

अनुलग्नक-II

प्रोफार्मा

1 आवेदित पद का नाम :

2 नाम और वर्तमान पदनाम :

3 आरंभिक नियुक्ति की तिथि, वेतनमान के साथ :

4 वर्तमान वेतनमान :

5 पूरा पता (साफ अक्षरों में) :

6 जन्म तिथि (ईस्वी सन् में) :

7 केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के तहत भर्ती की तिथि :

8 शैक्षिक अर्हताएं :

9 क्या पद के लिए, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं संतोषजनक हैं (क्या किसी अर्हता के नियमों में निर्धारित किसी योग्यता को समकक्ष माना गया है, इसके लिए प्राधिकारी उल्लेख करें)

	अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव :	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं/अनुभव
अनिवार्य	(1)	
	(2)	
	(3)	
वांछित	(1)	
	(2)	

10 कृपया बताएं कि ऊपर आपके द्वारा दी गई प्रविष्टियों के आलोक में क्या आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं:

11 नियुक्तियों का क्रमानुसार ब्यौरा। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत तथा नियोक्ता द्वारा सत्यापित एक अलग कागज पर संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	किस तिथि से	किस तिथि तक	वेतनमान और मूल वेतन	कार्य का स्वरूप

12 वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप, अर्थात तदर्थ या अस्थायी अथवा स्थायी :

13 क्या परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से समाप्त हो गई है :

14 वर्तमान नियुक्ति तदर्थ/संविदा आधार पर होने की दशा में, कृपया बताएं: :

(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि :

(ग) मुख्य कार्यालय/संगठन का नाम, जहां से आप संबंधित है :
:

15 वर्तमान नियुक्ति के बारे में अतिरिक्त विवरण, कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य करते हैं:- :

(क) केन्द्रीय सरकार
(ख) राज्य सरकार
(ग) स्वात्तय निकाय
(घ) सरकारी उपक्रम
(ङ) विश्वविद्यालय

16 कृपया बताएं कि पहले किसी राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे या केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे :

17 कृपया बताएं कि आप कभी अनधिकृत अवकाश, ईओएल या अनर्जित अवकाश (लीव नॉट ड्यू) पर रहे हैं: :

18 क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो संशोधन की तिथि बताएं तथा पूर्व-संशोधित वेतनमान भी दर्शाएं :

19 अभी प्राप्त हो रहा कुल वेतन प्रतिमाह, वेतन बैंड, बैंड वेतन और ग्रेड वेतन (पृथक रूप से बताएं) :

20 अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो तो, जिसे आप पद की उपयुक्तता के लिए देना चाहते हों। यदि स्थान अपर्याप्त हो तो नियोक्ता द्वारा सत्यापित एक अलग कागज संलग्न करें। :

21 क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित हैं। :

22 अभ्युक्तियां :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
पता-----------------

दिनांक ---------------------
प्रतिहस्ताक्षरित----------------------
(नियोक्ता)